# राज्य परियोजना कार्यालय
## समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर

एकीकृत शिक्षा भवन, द्वितीय तल, बोर्ड ऑफिस परिसर, टैगोर नगर, पेंशन बाड़ा, रायपुर
फोन न. 0771–2445052 Email Id- mis.head@gmail.com

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

क्र./ 688 /एस.एस/ई.ई/लेखा/2021–22 रायपुर, दिनांक 05/08/2021

प्रति,

समस्त कलेक्टर एवं पदेन
जिला मिशन संचालक
समग्र शिक्षा (छ.ग.)

विषय :– बैंक ऑफ बड़ौदा में नया जीरो बैंलेंस अकाउंट खोलने एवं PFMS में मैंपिंग के संबंध में।

संदर्भ :– 1. छ.ग. शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन का पत्र कमांक /245/PFMS/ब–4/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22.06.2021
2. छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन का पत्र कमांक/एफ 21–32/2021/20–एक नवा रायपुर, दिनांक 31.07.2021.

---0---

विषयांतर्गत लेख है कि केन्द्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के SNA(Single Nodal Agency) एवं IAs (Implementing Agency) के खाते खोलने एवं PFMS के कियान्वयन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का चयन किया गया है। SNA का खाता खोला जा चुका है।

निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले एवं समस्त अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थाओं का Zero balance account तत्काल खोलकर PFMS में मैपिंग कराना सुनिश्चित करें। बचत खाते संयुक्त हस्ताक्षर से खोला जाए। इस हेतु बैंक को आवश्यक दस्तावेंज उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

समग्र शिक्षा अंतर्गत अलग–अलग स्तर पर निम्नानुसार संयुक्त खाते का संचालन होना सुनिश्चित करें –

(i) जिला कार्यालय हेतु – कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (28 जिले) ।

(ii) विकासखण्ड स्तर पर (विकासखंड स्त्रोत केन्द्र/ शहरी स्त्रोत केन्द्र) – विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड स्त्रोत समन्वयक।

(iii) संकुल स्तर पर – संकुल प्राचार्य एवं संकुल समन्वयक।

(iv) स्कूल स्तर पर – प्राथमिक/उच्च प्राथमिक में प्रधान पाठक (शाला प्रबंधन समिति का सचिव) एवं शिक्षक (शाला प्रबंधन समिति का कोषाध्यक्ष) माध्यमिक स्तर के स्कूल हेतु प्राचार्य (शाला प्रबंधन एवं विकास समिति का सचिव) एवं शिक्षक (शाला प्रबंधन एवं विकास समिति का कोषाध्यक्ष)।

(v) के.जी.बी.व्ही हेतु – के.जी.बी.व्ही अधीक्षिका (शाला प्रबंधन समिति का सचिव) एवं शिक्षक (नियमित)।

(vi) आवासीय विद्यालय (पोर्टा केबिन) (प्रारभिंक स्तर) हेतु – अधीक्षक (शाला प्रबंधन समिति का सचिव) एवं सहायक अधीक्षक (नियमित शिक्षक)।

वित्त नियंत्रक
राज्य परियोजना कार्यालय
समग्र शिक्षा, छ.ग. रायपुर

5/8/2021

(vii) आवासीय छात्रावास–पोर्टा केबिन (माध्यमिक स्तर) हेतु – अधीक्षक एवं सबंद्ध स्कूल का प्राचार्य।

(viii) 200 एवं 100 सीटर आवासीय स्कूल – अधीक्षक एवं शिक्षक।

(ix) 50 सीटर छात्रावास – अधीक्षक एवं सबंद्ध स्कूल का प्रधान पाठक।

(x) कन्या छात्रावास (माध्यमिक) – अधीक्षिका एवं सबंद्ध स्कूल का प्राचार्य।

(xi) 100 सीटर छात्रावास – अधीक्षक एवं सबंद्ध शाला का प्रधान पाठक।

1. Zero Balance खाता का पृथक कैश बुक संधारण किया जाना सुनिश्चित करें।
2. FMP Manual की कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, जिसमें दिये गये निर्देश अनुसार समस्त पंजियों का संधारण एवं नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
3. Zero Balance खाता में किसी भी अन्य मद की राशि जमा नहीं की जाएगी।
4. समग्र शिक्षा अंतर्गत प्रारभिंक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षण हेतु राशि प्राप्ति एवं व्यय का अलग–अलग जानकारी संधारित कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. आवर्ती/अनावर्ती मद का पृथक – पृथक आय–व्यय का लेखा संधारण किया जाना सुनिश्चित करें।
6. संबंधित वित्तीय वर्ष की आवर्ती मद की राशि 31 मार्च तक व्यय किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा शेष राशि अगले वित्तीय वर्ष की स्वीकृत बजट का अंश माना जावेगा।
7. समय–समय पर राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा से जारी होने वाले दिशा– निर्देशों का पालन किया जाए।

संलग्न :– 1. बैंक द्वारा प्रस्तुत खाता खोलने का प्रपत्र।
2. बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली दस्तावेज की जानकारी।

प्रबंध संचालक
समग्र शिक्षा
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ क./ 689 /एस.एस/ई.ई/लेखा/ 2021–22 रायपुर दिनांक 05/08/2021

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, के माध्यम से माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

5. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, छ.ग. अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
6. संचालक, एस.सी.ई.आर.टी शंकर नगर, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, छत्तीसगढ़, विधानसभा रोड, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा उपरोक्तानुसार की गयी कार्यवाही से राज्य कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
10. समस्त जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा छ.ग. को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. बैंक ऑफ बड़ौदा, सहायक महाप्रबंधक, क्षेत्रीय प्रमुख रायपुर क्षेत्र को सूचनार्थ।

प्रबंध संचालक
समग्र शिक्षा
छत्तीसगढ़, रायपुर